भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 259

04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: **'विस्तार' परियोजना**

259. श्री अनुराग सिंह ठाकुरः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'विस्तार' परियोजना के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं तथा यह किस प्रकार किसानों के लिए कृषि संसाधनों और परामर्श सेवाएं देने में सुधार करेगी;

(ख) इस पहल के अंतर्गत वर्तमान में कितने क्षेत्रों या जिलों को लक्षित किया जा रहा है तथा इसे पूरे देश में प्रसारित करने की क्या योजनाएं हैं;

(ग) उक्त परियोजना के लिए विशिष्ट रूप से कितना धन आवंटित किया गया है तथा इसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार उपयोग किया जाएगा;

(घ) संसाधन का उपयोग, कीट प्रबंधन और फसल नियोजन जैसी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए परियोजना में एकीकृत की जा रही उन्नत प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है।

(ङ) क्या किसानों को विकसित उपकरणों और प्रणालियों का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है तथा इससे कितने किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है; और

(च) क्या उक्त परियोजना के अंतर्गत निजी संगठनों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ कोई साझेदारी की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): विस्तार परियोजना (कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए वस्तुतः एकीकृत प्रणाली) का उद्देश्य विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पर विश्वसनीय, मान्य और अद्यतित संसाधनों को एकीकृत करके कृषि के लिए एक एकीकृत, संघबद्ध डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। यह किसान के फीडबैक को शामिल करने के लिए दो-तरफ़ा संचार को सक्षम बनाते हुए डिजिटल सोल्यूशंस की मापनीयता, पहुँच और समावेशिता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। केंद्र-राज्य अभिसरण को आगे बढ़ाकर, हितधारकों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देकर और आईसीएआर संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के व्यापक प्रयासों के साथ जुड़कर विस्तार कृषि विस्तार के लिए मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के विकास का समर्थन करता है। इसका लक्ष्य किसानों को कार्रवाई योग्य जानकारी के साथ सशक्त

बनाना, सहयोग को सुव्यवस्थित करना और डिजिटल कृषि विस्तार पहलों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना है।

मौजूदा कृषि विस्तार प्रणाली के डिजिटलीकरण का उद्देश्य इसकी पहुंच को पर्याप्त रूप से बढ़ाना और प्रत्येक किसान को फसल उत्पादन, विपणन, मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और जलवायु स्मार्ट कृषि (सीएसए) पद्धतियों, मौसम संबंधी सलाह आदि पर उच्च गुणवत्ता वाली सलाहकार सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। सलाहकार सेवाएं कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सभी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं, जिनसे किसान लाभान्वित होते हैं।

(ख): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों के साथ उनकी तकनीकी और विषय-वस्तु समीक्षा समितियों को नेटवर्क पर ओनबोर्ड करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं तथा छोटी पायलट योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है।

(ग): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मौजूदा विस्तार परियोजना के कार्यान्वयन में सहायता करता है। इसके लिए कोई अलग से धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

(घ): विस्तार का लक्ष्य नेटवर्क के माध्यम से सभी पहलों और संघीय सोल्यूशंस के साथ एकीकरण करना है ताकि किसानों को अध्यतन जानकारी मिल सके। इसमें जमीनी स्तर पर तैनात एआई सक्षम चैटबॉट का लाभ उठाना और उसके बाद एग्रीस्टैक के साथ एकीकरण करना शामिल है।

(ङ): विस्तार के प्रयासों में डिजिटल बॉट्स पर विस्तार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना शामिल है। इसे मौजूदा भागीदारी और नेटवर्क स्वयंसेवकों के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है, ताकि किसानों को चरणबद्ध तरीके से आगे प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्षेत्र स्तर पर आवश्यक जानकारी तक पहुँच प्रदान करने के लिए फ्रंटलाइन विस्तार कार्यकर्ताओं (एफएलईडब्ल्यू) को वीडियो उत्पादन कौशल बढ़ाने और उन्नत आईटी उपकरणों को संभालने के लिए प्रशिक्षण दिया जा सके।

(च): निःशुल्क आधार पर विस्तार डीपीआई नेटवर्क के विकास के लिए एकस्टेप फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो एक गैर-लाभकारी संगठन है। विस्तार को डिजिटल ग्रीन जैसे गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा भी निःशुल्क सामग्री विकास के लिए सहायता दी जाती है। आईआईटी-मद्रास ने किसानों के लाभ के लिए निःशुल्क आधार पर कृषि-स्टार्टअप पर सामग्री साझा करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।

*****